

न्यायालय:अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.-560 / 2009  
संस्थित दिनांक-26.10.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

- 1- नवाब उर्फ शेरा खान पिता रमजान खान मुसलमान  
उम्र 29 वर्ष वार्ड नम्बर 08 कम्पाउण्डरटोला बैहर  
थाना बैहर जिला-बालाघाट(म.प्र.)
- 2- मुस्तकीन खान पिता सकुरखान मुसलमान  
उम्र 30 वर्ष वार्ड नम्बर 08 कम्पाउण्डरटोला बैहर  
थाना बैहर जिला-बालाघाट(म.प्र.)
- 3- आलोक मिश्रा पिता कृष्णकुमार उम्र 27 वर्ष  
वार्ड नम्बर 11 कुम्हारी मोहल्ला बैहर  
थाना बैहर जिला-बालाघाट(म.प्र.)
- 4- मेहबूब खान पिता हसनखान मुसलमान  
उम्र 48 वर्ष वार्ड नम्बर 07 कम्पाउण्डरटोला बैहर  
थाना बैहर जिला-बालाघाट(म.प्र.)
- 5- बाला खान पिता ऐजाज मुसलमान  
उम्र 34 वर्ष वार्ड नम्बर 07 कम्पाउण्डरटोला बैहर  
थाना बैहर जिला-बालाघाट(म.प्र.)
- 6- सुखलाल यादव पिता स्व. सुधराम यादव  
उम्र 33 वर्ष वार्ड नम्बर 06 कम्पाउण्डरटोला बैहर  
थाना बैहर जिला-बालाघाट(म.प्र.)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-29/05/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक-19.09.2009 को रात्रि में ग्राम सरेखा प्रार्थी लक्ष्मीप्रसाद ठाकरे के मकान के सामने अंतर्गत थाना बैहर में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लक्ष्मीप्रसाद ठाकरे के कब्जे से ट्रैक्टर के दो कल्टीवेटर उसकी सहमति के बिना बेईमानी से ले जाने के आशय से हटाकर चोरी कारित की।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी लक्ष्मीप्रसाद ठाकरे द्वारा दिनांक 02.10.09 को थाना बैहर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 15.08.09 को कृषि कार्य के पश्चात नागर को उसने अपने घर के सामने खुले स्थान में रख दिया था। दिनांक 19.09.09 को दरमियानी रात अज्ञात चोर दोनों नागर चोरी कर ले गए। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध अभियुक्त को तलब कर पूछताछ की गयी जिसने घटना कारित करना बताया। गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम तैयार कर आरोपीगण के बताये स्थान पर जाकर चोरी की गयी संपत्ति बरामद कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-379/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उन्होंने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

04. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-19.09.2009 को रात्रि में ग्राम सरेखा प्रार्थी लक्ष्मीप्रसाद ठाकरे के मकान के सामने अंतर्गत थाना बैहर में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लक्ष्मीप्रसाद ठाकरे के कब्जे से ट्रैक्टर के दो कल्टीवेटर उसकी सम्मति के बिना बेईमानी से ले जाने के आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष:-

05. परिवादी लक्ष्मीप्रसाद ठाकरे (अ.सा.01) का कथन है कि वह आरोपीगण को पहचानता है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से एक वर्ष पहले की है। उसके घर के सामने उसका तथा उसके भाई का नागर रखा था जो लगभग तीस हजार रुपये कीमत का था, रात में चोरी चला गया। उसे घटना की तारीख याद नहीं है। बाद में पुलिस द्वारा पता चला की आरोपीगण ने उक्त नागर की चोरी की। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिसवाले जांच में आये थे और उसके बताये अनुसार पुलिस ने मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसने घटना के दूसरे दिन थाना

में रिपोर्ट की थी तथा रिपोर्ट करते समय किसी का नाम नहीं बताया था। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। चोरी होने के बाद उसने नागर थाने में देखा था।

06. देवेन्द्र ठाकरे (अ.सा.02) का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग एक वर्ष पूर्व उनके घर की है। उनके घर के सामने हरे रंग की नागर रखी थीं दो कल्टीवेटर जिनके एक-एक नागर थे, जिनकी करीब अठारह हजार रुपये कीमत रही होगी। जिसमें से एक उसका तथा एक उसके भाई का था, जिन्हें रात में चोरी कर लिये थे। फिर उन्होंने घटना की रिपोर्ट की थी। पुलिस वालों ने उसके समक्ष मौकानक्शा बनाया था या नहीं उसे याद नहीं है। मौकानक्शा प्र.पी.02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि पुलिस ने उससे कोई बयान नहीं लिये थे तथा मौकानक्शा प्र.पी.02 में उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे।

07. गणेश (अ.सा.03) का कथन है कि आरोपी महबूब को छोड़कर अन्य आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके समक्ष आरोपी नवाब से कोई जप्ती नहीं हुई थी और न ही आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.07 के अ से अ भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपी नवाब से दारु भट्टी महुआ पेड़ के पास नाले में ट्रेक्टर के नौ दांत वाला नागर जप्त होने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह कम्पाण्डरटोला में रहता है तथा आरोपी मेहबूब खान भी कम्पाण्डरटोला में रहता है जिसके कारण वह उसके पहचानता है।

08. राजाराम (अ.सा.04) का कथन है कि वह आरोपीगण सुखलाल एवं बाला को नहीं जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था और न ही उसने गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08 तथा 09 पर हस्ताक्षर किये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपीगण को उसके समक्ष गिरफ्तार करने तथा गिरफ्तारी पत्रक पर उसके हस्ताक्षर होने से स्पष्ट इंकार किया।

09. महिपाल ठाकरे (अ.सा.05) का कथन है कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थी लक्ष्मीप्रसाद ठाकरे को जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग चार वर्ष पूर्व की है। आरोपी नवाब उर्फ शेरा खान ने उसके समक्ष पुलिस को बताया था कि उन लोगों ने मिलकर ट्रेक्टर के नागर को चुराया है। उसने आरोपीगण को थाने के अंदर ट्रेक्टर के समान के साथ देखा था। मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

हैं। पुलिस ने आरोपी नवाब उर्फ शेरा से दो नग ट्रेक्टर के नागर तथा एक डीजल पंप जप्त कर पत्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी नवाब उर्फ शेरा खान ने प्र.पी.10 के मेमोरेण्डम कथन में यह बताया था कि दिनांक 19.09.09 को उसने मोहल्ले के मुस्तकीन, सुखलाल, मेहबूब खान, आलोक, बाला के साथ मिलकर ग्राम सरेखा से लक्ष्मीप्रसाद ठाकरे के घर के सामने रखे ट्रेक्टर के दो नागर चोरी किये थे। साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी ने प्र.पी.10 के मेमोरेण्डम कथन में यह भी बताया था कि आलोक मिश्रा की पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी.50-0610 में रखकर बिरसा दारु भट्टी के पास जहां मलाजखण्ड की माईस की मिट्टी डम्प हो रही थी, महुआ के पेड़ के नीचे नाले में छुपाकर रख दिये थे चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। पुलिस ने उसके समक्ष नवाब उर्फ शेरा खान से बिरसा दारु भट्टी महुआ पेड़ के पास नाले से जप्ती नहीं की थी। उसने आरोपीगण को थाने में समान के साथ देखा था। साक्षी ने मेमोरेण्डम प्र.पी.10 तथा जप्ती प्र. पी.03 की कार्यवाही उनके समक्ष होने के कारण उस पर हस्ताक्षर करने की बात से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह जप्ती के स्थान पर नहीं गया था इसलिए पुलिस ने जप्ती स्थल पर क्या कार्यवाही की उसे जानकारी नहीं है। चोरी का समान पुलिस केम्पस में नीचे रखा था तथा उसने वहां पर आरोपीगण को देखा था। उक्त समान कहां से लाये थे उसे जानकारी नहीं है। वह आरोपीगण को पूर्व से ही जानता है तथा जप्ती का समान उसने पहली बार थाने में ही देखा था। प्र.पी.10 पुलिस थाना बैहर में ही तैयार किया गया था। आरोपी नवाब उर्फ शेरा खान ने आलोक मिश्रा की गाड़ी से समान लाने की बात स्वीकार नहीं की थी।

10. निजामुद्दीन (अ.सा.06) का कथन है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। परंतु उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष आरोपीगण से कुछ बरामद नहीं हुआ था और न ही आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके समक्ष आरोपीगण नवाब उर्फ शेरा खान, मेहबूब खान, मुस्तकिन तथा आलोक को गिरफ्तार करने एवं मेमोरेण्डम प्र.पी.10 तैयार करने के तथ्यों से इंकार किया है। परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 लगायत 07 तथा मेमोरेण्डम प्र.पी.10 के बी से बी भागों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसने थाने में मुंशी के कहने पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था।

11. हेमराज (अ.सा.07) का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता, पुलिस ने उसके समक्ष किसी को गिरफ्तार नहीं किया था उसे घटना के संबंध में कोई



जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके समक्ष आरोपीगण सुखलाल और बाला को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार करने तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 08 एवं 09 के बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन हैं कि उसने पुलिस के किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये थे और न ही पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही की थी।

12. अभियोजन द्वारा प्रकरण में विवेचक साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है। उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण से जप्ती ही प्रमाणित नहीं है क्योंकि मेमोरेण्डम तथा जप्ती के साक्षी गणेशप्रसाद अ0सा03, महिपाल अ0सा05 तथा निजामुद्दीन अ0सा06 पक्षद्रोही रहे हैं। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग एक माह बाद दर्ज की गयी है। जिस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गयी है तथा उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है क्योंकि किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त नवाब को छोड़कर अन्य अभियुक्तगण के संबंध में प्रकरण में कोई विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आरोपीगण से जप्ती ही प्रमाणित नहीं है तथा आरोपीगण को चोरी करते हुए किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है। महिपाल ठाकरे अ0सा0-5 द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकृत किया गया है कि चोरी का सामान पुलिस केम्पस में नीचे रखा था जो कहां से लाया गया था उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्ष्य की विवेचना से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। जिसके फलस्वरूप अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी की अभिरक्षा से ट्रैक्टर के दो कल्टीवेटर को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की। अतः अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा 379/34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

13. प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

14. प्रकरण में आरोपीगण आलोक मिश्रा, मुस्तकीन खान, महबूब खान, नवाब उर्फ शेरा दिनांक 04.10.2009 से 08.10.2009 तक एवं आरोपी बाला उर्फ एजाज खान दिनांक 24.03.2011 से दिनांक 25.03.2011, दिनांक 22.08.2014 से दिनांक 05.09.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के

अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

15. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति ट्रेक्टर के दो कल्टीवेटर स्वामी की सुपुर्दगी पर हैं। अपील अवधी पश्चात सुपुर्दनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित हो अथवा अपील होने की दशा में मानीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)